

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. प्र. दि. मं.
---------------	-----------------------------------	---------------------------


पर पूर्ववत् पट्टलाल अंकित किया जाना उचित है।

अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम हंवलपुरा की 2 मि. ख. मं. 628 कब. 0.85 हेक्टर पर स. लाला पुत्र नारान का नाम विलोपित किया जावे। पट्ट के स्थान पर पट्टलाल अंकित किया जाकर पट्टलाल, रामलाल व बिन्धीलाल के नाम 2 मि. 1/3, 1/3, 1/3 समभाग में बंटी जावे।

तदनुसार डिक्री मुर्खिब हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विद्युत न्यायालय में सुनाया।




 (चिमनलाल मेहता)
 R.A.S.

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुकम की ता
में जारी ह

Judl/Civil
Part V-10

ऑलिम डिकरी थ मुकद्दमे इतदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपलवड अधिकारी मुकाम रामगंजमंडी
व इजलास चिमनलाल भीठा (र.न.ड.)

पट्टलाल बनाम आफा
दावा बाबत 88-89, R.T. Act-1955

मुकद्दमा नं. 169 सन् 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु चिमनलाल भीठा (र.न.ड.)

बहाजरी श्री उ.र. अली एडव मिनजानिब मुद्दई व पेफेकार आफा

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद बादीगण स्वीकार किया जाऊं यह आदेश दिया जाव है कि ग्राम कुंवलु की भूमि (प्लॉट नं 628 (क) 0.85 हेक्टर पर स लाला पुत्र नारायण का नाम निरोपित किया जाव। पट्टु के स्थान पर पट्टलाल अंकित किया जाऊं पट्टलाल, रामलाल, व बिधीलाल के नाम भूमि 1/3, 1/3, 1/3 (समत्राग) में दर्ज की जाव।

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूब व भरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 07 2020 को जारी की गई।
महर

दस्तखत
ओहदा उपलवड अधिकारी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी वा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील पर	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफरिफ	
मुतफरिफ				
मीजान....			मीजान ...		